



मथुरा पुलिस



प्रेस नोट:- थाना हाईवे जनपद मथुरा ।

दिनांक:-19.01.2026

थाना हाईवे पुलिस टीम ने द्वारा साइबर ठगी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तगण को साइबर ठगी के 4,06,220/-रुपये व घटना में प्रयुक्त 07 मोबाइल व 06 डेबिट कार्ड सहित गिरफ्तार किया ।

थाना हाईवे पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर साइबर ठगी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तगण (1) सचिन कुमार पुत्र गटुआ निवासी शिवपुरी कालोनी गणेश बाग थाना राया जनपद मथुरा (2) सतेन्द्र पुत्र स्व0 हरस्वरूप निवासी होल्ला थाना राया जनपद मथुरा (3) संजय पुत्र सतीश निवासी ग्राम लालपुर थाना इग्लास जनपद अलीगढ (4) हसीब पुत्र समीम खां निवासी बिहोई थाना इग्लास जनपद अलीगढ (5) सुखवीर पुत्र सतवीर निवासी तेहरा थाना इग्लास जनपद अलीगढ को भरतपुर रोड पर लक्ष्मी गार्डन के सामने खाली जगह से साइबर ठगी की कुल 4,06,220/-रु की धनराशि एवं घटना में प्रयुक्त 07 मोबाइल फोन व 06 डेबिट कार्ड के साथ किया गिरफ्तार । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के खातों पर एनसीआरपी पोर्टल से करीब 16 शिकायतें दर्ज हैं । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ।

घटना का विवरण--- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधिक हैं तथा पूछने पर बताया कि हम लोगों को सचिन पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी तिरवाया थाना राया जनपद मथुरा विभिन्न बैंकों में खाते खोलने के लिए कहता था तथा यह कहता था कि जितने ज्यादा बैंकों में खाते खुलवाकर हमें अपनी पासबुक, सिम, निकलवाकर दोगें तथा तुम्हारे बैंक खातों में जो भी साइबर ठगी का रुपया आयेगा । उसका 10% कमीशन तुम्हें एटीएम से रुपये निकालने के बाद नगद के रूप में दिया जायेगा । हम लोगों का यह दायित्व था कि अगर हमारे बैंक खाते में ठगी का रुपया आने वाला होता था तो हमें सचिन पहले ही Facebook/WhatsApp कॉल के माध्यम से बता देता था कि तुम्हारे बैंक खातों में रुपया आने वाला है । नजदीकी एटीएम पर पहुँचकर पूरा रुपया नगद के रूप में निकाल लेना है और मेरे बताने तक उस रुपया को अपने पास सुरक्षित रखना है फिर सचिन हम लोगों को माह में एक दिन निश्चित करता है कि निकाले गये रुपयों का बटवारा किस स्थान पर होना है उसी निश्चित स्थान पर हम सभी लोग एकत्रित होकर रुपयों का कमीशन बाट लेते थे और बचा हुआ रुपया सचिन पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी तिरवाया थाना राया जनपद मथुरा के द्वारा बताये गये बैंक

खातों में एटीएम मशीन से नगद जमा कर देते हैं। सचिन द्वारा हम लोगों से बताया गया था कि तुम लोग कभी नहीं पकड़े जाओगे क्योंकि तुम लोगों के बैंक खातों का प्रयोग दक्षिण व पश्चिम भारत के राज्यों में किया जायेगा। जहाँ की पुलिस यहाँ कभी नहीं आयेगी। इसीलिए हम लोगों ने भी निश्चिन्त होकर अपने व अपने साथियों के बैंक खातों अलग अलग बैंकों में खुलवाकर सचिन पुत्र योगेन्द्र को दे दिये थे जो हमारे बैंक खातों को अन्य राज्यों में पहुँचाता है। हम लोगों ने सचिन द्वारा एक चैन बनायी गई है। जिसमें हम सभी सदस्यों में प्रत्येक सदस्य अगले तीन सदस्यों को बैंक खाता खोलवाना होता है जिसके हिसाब से हम लोगों का कमीशन बढ़ता है। इसी आधार पर हम लोगों का पूरा गैंग सक्रिय है। हम लोग पकड़े न जायें इस लिए मथुरा के अलग अलग थाना क्षेत्रों के एटीएम से रुपया निकालते हैं। आगे के लोगों की जानकारी सचिन पुत्र योगेन्द्र को ही है। आज हम लोगों में निकाला हुआ रुपया बाटने के लिए भरतपुर रोड पर लक्ष्मी गार्डन के पास एकत्रित होकर अपने रुपया बाँट रहे थे। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता--

1. सचिन कुमार पुत्र गटुआ निवासी शिवपुरी कालोनी गणेश बाग थाना राया मथुरा उम्र करीब 22 वर्ष
2. सतेन्द्र पुत्र स्व० हरस्वरूप निवासी होल्ला थाना राया जनपद मथुरा उम्र करीब 26 वर्ष
3. संजय पुत्र सतीश निवासी ग्राम लालपुर थाना इग्लास जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष
4. हसीब पुत्र समीम खाँ निवासी बिहोई थाना इग्लास जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष
5. सुखवीर पुत्र सतवीर निवासी तेहरा थाना इग्लास अलीगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय---

भरतपुर रोड पर लक्ष्मी गार्डन के सामने खाली जगह से, दिनांक 18.01.2026 समय 18.27 बजे।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सचिन कुमार से बरामदगी का विवरण-

1. दो मोबाइल SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA जिसमें सिम संख्या 89910009033632307790 (AIRTEL) मो०न० 9193033227 व IMEI 350953900151560 & 357958470151562 व VIVO 1933 जिसमें सिम संख्या 8991000923363826210U(AIRTEL), मो०न० 8979322947 व IMEI 860304045045676 & 860304045045668
2. दो DEBIT CARD क्रमशः Bank of India संख्या 6069945590400769 MOHD ADNAN व Central Bank of India संख्या 6522813802019382 ANJALI व पैन संख्या LKJPK6052 SACHIN KUMAR
3. कुल 1,21,000/- रुपये (जिसमें 500/- 500/- रुपये के कुल 242 नोट) बरामद हुए।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सतेन्द्र उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. दो मोबाइल क्रमशः SAMSUNG GALAXY A56 5G जिसमें सिम संख्या 8991000923918629069U(AIRTEL) मो0न0 8679183992 व IMEI 351300531986387 & 359731471986387 तथा दूसरा मोबाइल SAMSUNG GALAXY A22 5G जिसमें सिम संख्या 8991000923917807831U(AIRTEL), मो0न0 8791218330 व IMEI 358136644305435 & 359648714305433
2. एक DEBIT CARD AXIS BANK संख्या 4691970170022487 /925010052828950
3. कुल 81,620/- (जिसमें 500 -500 /- रुपये के कुल 163 नोट व 20/- 20/- रुपये के 04 नोट व 10/- 10/- रुपये के 04 नोट) बरामद हुए।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संजय उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाइल SAMSUNG GALAXY A34 5G जिसमें सिम संख्या 89918700400909858815 (JIO), 89918700400934782014(JIO), मो0न0 9027512476, 8923240518 व IMEI 350386306594861 & 350618526594861
2. एक DEBIT CARD AXIS BANK 4691970166497719 / 925010044904268
3. कुल 75,300/- (जिसमें 500/- 500/- रुपये के कुल 150 नोट व 100/- 100/- रुपये के कुल 03 नोट) बरामद हुए

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त हसीब उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाइल SAMSUNG GALAXY A26 5G जिसमें सिम संख्या 89918700400938514637(JIO), 89918700400966855548(JIO) मो0न0 7983711213, 9286864253 व IMEI 353201663643135 & 353701703643136
2. एक DEBIT CARD UCO BANK संख्या 6082251876022853
3. कुल 70,200/- (जिसमें 500/- 500/- रुपये के कुल 140 नोट तथा 100/- 100/- रुपये के कुल 02 नोट) बरामद हुए।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाइल फोन OPPO A5 Pro 5G जिसमें सिम संख्या 89918700400923408589(JIO) मो0न0 9045230069 व IMEI 861920075835112 & 869120075835104
2. एक DEBIT CARD AIRTEL PAYMENT BANK संख्या 5291450012004473
3. कुल 58,100/- रुपये (जिसमें 500/- 500/- रुपये के कुल 116 नोट व 100/- रुपये का 01 नोट) बरामद हुए

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सचिन व सतेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण--

1.मु0अ0सं0 0069/2026 धारा 318(4)/317(5) BNS व 66(C)/66(D) IT ACT थाना हाईवे जनपद मथुरा

2.मु0अ0सं0 0059/2026 धारा 318(4)/351(2) BNS थाना हाईवे जनपद मथुरा ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संजय, हसीब व सुखवीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण--

मु0अ0सं0 0069/2026 धारा 318(4)/317(5) BNS व 66(C)/66(D) IT ACT थाना हाईवे जनपद मथुरा

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 श्री नितिन राठी चौकी प्रभारी सतौहा थाना हाईवे मथुरा

2.उ0नि0 श्री सौरभ तैवतिया थाना हाईवे जनपद मथुरा

3.स0उ0नि0 श्री सूरज कुमार थाना हाईवे जनपद मथुरा

4. का0 3075 रविन्द्र कुमार थाना हाईवे जनपद मथुरा

5. का0 1566 मोहित शर्मा थाना हाईवे जनपद मथुरा

6.का0 1591 पवन सिंह थाना हाईवे जनपद मथुरा

